पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग–3

बुधवार, तिथि 22 फाल्गुन, 1934 (श0)
13 मार्च, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	ग्रामीण विकास विभाग	.. ..	02
		कुल योग ..	02

दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई

'क'–21. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी––स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 7 जनवरी, 2012 को, दिनांक 19 मार्च, 2012 को तथा दिनांक 6 अप्रील, 2012 को प्रकाशित शीर्षक क्रमशः 'अदालत के आदेश पर नरेगा–मनरेगा लूट की जाँच शुरू', सरकारी कर्मियों के नाम पर जॉब कार्ड एवं 'जाँच रिपोर्ट शीघ्र देने की डी0एम0 ने दिया निदेश' शीर्षकों को ध्यान में रखकर तथा मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत जहांगीरपुर पंचायत में नरेगा/मनरेगा योजना में जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जाँच के अनुसार 283 व्यक्तियों के नाम पर बने जॉब कार्ड में 12 लाख, 42 हजार, 216 रुपये की अनियमितता पाई गई है, यदि हाँ, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अबतक कौन–सी कार्रवाई की गई है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री समरजीत सिंह, पिता श्री रामाशंकर सिंह, ग्राम–शाहपुर, पोस्ट एवं थाना–सोनपुर, जिला–सारण (छपरा) के द्वारा दिनांक 7 जून, 2011 को एक परिवाद–पत्र समर्पित कर जिला पदाधिकारी, सारण/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण से सोनपुर प्रखंड में जहांगीरपुर पंचायत के विभिन्न सरकारी योजनाओं मनरेगा, इंदिरा आवास, बी0पी0एल0 कार्ड, सोलर लाइट, वृद्धावस्था पेंशन आदि में हुई अनियमितता की शिकायत की गयी थी। परिवादी श्री समरजीत सिंह द्वारा इसी बीच माननीय पटना उच्च न्यायालय में लोकहित वाद (संख्या 22293/2011) दायर कर दिया गया। प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर लोकहित वाद की प्रति के साथ दिनांक 29 जुलाई, 2011 को एक पत्र जिला पदाधिकारी, सारण को भेजा गया जो 9 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हुआ।

परिवादी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत फर्जी जॉब कार्ड का निर्माण एवं राशि का भुगतान, शाहपुर ग्राम जलकर जीर्णोद्धार कार्य, जहांगीरपुर पंचायत वटवृक्ष से टोला सिंह के चिमनी तक मिट्टीकरण एवं ईंटकरण योजना में अनियमितता की शिकायत की गई थी।

प्राप्त परिवाद एवं प्रधान सचिव, निगरानी के पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा अलग–अलग योजनाओं की जाँच के लिए अलग–अलग टीम के गठन का आदेश दिनांक 3 जनवरी, 2012 को दिया गया। इसी क्रम में मनरेगा योजना में हुई अनियमितता की जाँच के लिये उप–विकास आयुक्त, सारण, कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन प्रमंडल 2, सारण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर की एक टीम गठित की गई थी जिन्होंने मनरेगा योजनाओं की जाँच कर दिनांक 2 मई, 2012 को प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें (1) श्री सूरज नारायण सिंह (2) श्री त्रिभुवन साह (3) श्री योगेन्द्र महतो (4) श्री सूरज भक्त (5) श्री छठी लाल भगत (6) श्री दिनेश भगत (7) श्री राज किशोर दास (8) श्रीमती संगीता देवी (9) श्रीमती लक्ष्मी देवी (10) श्रीमती रामपरी देवी (11) श्री मदन भगत (12) श्री जय किशोर सिंह (13) श्री जवाहर साह (14) श्रीमती दया देवी (15) श्रीमती पुतुल देवी (16) श्री राज नाथ सिंह कुल 16 जॉब कार्डधारी मात्र के नाम पर प्रथम दृष्टया भुगतान को गलत प्रतिवेदित किया गया है। कई योजनाओं में उपलब्ध कार्य की मापी से अधिक भुगतान तथा एक योजना योजना संख्या 04/2010–11 में 5 वर्ष के भीतर (2007–08) में उसी स्थल पर दूसरी योजना लेने की बात उजागर की गई है। योजना संख्या 01/2007–08 "विद्यालय परिसर में मिट्टी भराई" के उपयोग में लाई गई मिट्टी योजना संख्या 02/2007–08 "पोखरा जीर्णोद्धार कार्य से निकाली गई मिट्टी द्वारा किये जाने की बात आई है। फलस्वरूप 99 हजार 500 रुपये का दुरूपयोग प्रतीत होता है उसी प्रकार योजना संख्या 04/2010–11 में मिट्टी भराई का कार्य योजना संख्या 02/2010–11 से निकाली गई मिट्टी से किये जाने के फलस्वरूप 01 लाख 50 हजार 124 रुपये का दुरूपयोग प्रतीत होता है। उसी प्रकार योजना संख्या 01/2010–11 में भी उपयोग की गई हुआ प्रतीत होता है। फलस्वरूप 01 लाख 50 हजार 124 रुपये का दुरूपयोग प्रतीत होता है। उसी प्रकार योजना संख्या 01/2010–11 में भी उपयोग की गई मिट्टी योजना संख्या 02/2010–11 के मिट्टी कार्य से निकाली गई मिट्टी के फलस्वरूप 01 लाख 35 हजार 324 रुपये के दुरूपयोग की बात प्रकाश में आई है। इस प्रकार तीनों योजनाओं को मिलाकर 03 लाख 84 हजार 948 रुपये के दुरूपयोग प्रकाश में आये हैं।

लोकहित वाद (संख्या 22293/2011) में दिनांक 5 जनवरी, 2012 को आयुक्त, सारण प्रमंडल को अपने स्तर से मामले की जाँच कर कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ, जिसके अनुपालन में प्रमंडलीय आयुक्त, सारण ने सभी पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरांत तथा जिला पदाधिकारी द्वारा गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ज्ञापांक 1491, दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण को मनरेगा योजना में बरती गई अनियमितता से संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप गठित करते हुए आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज करने/अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा सभी संबंधित दोषी कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों से उप–विकास आयुक्त के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं मंतव्य प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के अनुपालन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा 15 सितम्बर, 2012 को सभी दोषियों यथा श्री आलोक कुमार, सहायक अभियंता, श्री शशि शाकेर सिंह तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी सोनपुर, श्री औसाफ अहमद जुबैदी, तत्कालीन कनीय अभियंता, कुमारी मधु, कनीय अभियंता, श्री महबूब खाँ, पंचायत तकनीकी सहायक, श्री मनोज कुमार सिंह, पंचायत रोजगार सेवक, श्री राज कौशल, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक और श्री तृप्तिनाथ सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर के विरुद्ध स्थानीय थाना सोनपुर में प्राथमिकी संख्या 366/12 दर्ज कराया गया है। मुखिया की गिरफ्तारी भी हुई जो न्यायिक अभिरक्षा से सम्प्रति मुक्त हैं। दोषी मुखिया द्वारा न्यायालय में 01 लाख 51 हजार रुपये जमा भी किया गया है।

संबंधित डाकघर, भरपुरा के संबंधित डाक अधीक्षक/डाकपाल को गलत भुगतान में संलिप्त पाये जाने के कारण डाक विभाग द्वारा निलंबित भी किया गया है।

जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा मुखिया के पदच्युति के लिए भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को 13 सितम्बर, 2012 को ही निदेशित किया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा मुखिया से कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

सभी संबंधित मनरेगा कर्मियों से दिनांक 20 जुलाई, 2012 को स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण उप–विकास आयुक्त, सारण के पत्रांक 179, दिनांक 22 अगस्त, 2012 द्वारा मंतव्य सहित जिला पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराया गया है, जिनकी जिला स्तर पर समीक्षा कर अग्रेतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

सोनपुर प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत में कुल 1292 जॉब कार्डधारी हैं जिनमें से मात्र 324 जॉब कार्डधारियों द्वारा कार्य की माँग की गई एवं उन्हें रोजगार की माँग की आलोक में कार्य आवंटित किया गया है। परिवादी श्री समरजीत सिंह द्वारा प्रतिवेदित योजनाओं में भी इन्हीं 324 जॉब कार्डधारियों में से रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं।

मनरेगा योजनाओं में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध राशि वसूली हेतु राशि का आकलन करने एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नीलाम–पत्र वाद दायर करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उप–विकास आयुक्त, सारण ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है जिसका प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर फलाफल के अनुरूप सभी संबंधितों से राशि वसूली हेतु नीलाम–पत्र वाद दायर किया जा सकेगा।

दोषी पर कार्रवाई

33. श्री संजय सरावगी––क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मनरेगा के तहत अबतक 1.25 करोड़ मजदूरों को जॉब कार्ड दिये गये हैं जिसमें 20 लाख मजदूरों के नाम पर दो–दो जॉब कार्ड जारी किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रहस्योद्घाटन ऑकड़े मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम पर अपलोड किये जाने के क्रम में हुआ जिसमें सर्वाधिक दोहरा जॉब कार्ड बांटने वाला जिला मुजफ्फरपुर है जहाँ 96 हजार 855 मजदूरों के नाम पर दो–दो जॉब कार्ड बनाये गये हैं, वहीं दरभंगा में 79,250 दोहरे कार्ड बने हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोहरे जॉब कार्ड निर्गत करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 13 मार्च, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

नोट–'क'–दिनांक 27 फरवरी, 2013 से सदन द्वारा स्थगित।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 254डी0टी0पी0–450